

छ.ग. स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, रायपुर

मेन्यूअल

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

कार्यालय

कार्यपालन अभियंता, अति उच्च दाब (निर्माण) संभाग,
छ.ग. स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, रायपुर

(इंजी. यू.के. यादव)
कार्यपालन अभियंता
अ.उ.दा. (निर्माण), संभाग
छ.ग.स्टेट पा.ट्रांस.कं.लिमि. रायपुर

मेन्युअल अनुक्रमणिका

क्र.	विवरण	पृष्ठ संख्या
01	(अ) कार्यालय का संरचनात्मक ढांचा (ब) कार्यालय का कार्य एवं दायित्व	03-07
02	अधिकारियों के कर्तव्य (परिलब्धियों सहित)	08
03	कार्यालय में अपनाई जाने वाली निर्णय प्रक्रिया, पर्ववेक्षण एवं उत्तरदायित्व	—
04	कार्य निष्पादन के मापदण्ड, (समय, गुणवत्ता तथा मात्रा)	09-14
05	कार्यालय के कार्यों से संबंधित उपलब्ध अधिनियम, नियम, रेग्युलेशन, मेन्युअल्स, निर्देश, परिपत्रों की सूची	15-16
06	कार्यालय में संधारित अभिलेखों की सूची	17-19
07	परामर्शदात्री समितियों की संरचना (अ) समितियों के नाम, उनकी संरचना, दायित्व एवं कर्तव्य (ब) समितियों के बैठकों का कार्यवाही विवरण	20
08	मंडल, परिषद, समितियों एवं अन्य संस्थाओं की जानकारी	21
09	अधिकारी एवं कर्मचारियों की डायरेक्टरी	22
10	मासिक परिलब्धियां और सुविधायें	23
11	बजट आबंटन एवं व्यय पत्रक	24
12	कार्यक्रम एवं हितग्राहियों की जानकारी	25
13	हितग्राहियों एवं उन्हें प्राप्त सुविधाओं की सूची	26
14	इलेक्ट्रानिकली उपलब्ध जानकारीयां	27-29
15	जनकारियां उपलब्ध कराने हेतु उपलब्ध सुविधायें	30
16	लोक सूचना अधिकारी का विवरण	31
17	अन्य प्रासंगिक जानकारी	32

(इंजी. यू.के. यादव)
कार्यपालन अभियंता
अ.उ.दा. (निर्माण), संभाग
छ.ग.स्टेट पा.ट्रांस.कं.लिमि. रायपुर

1. (ब) कार्यालय की प्रत्येक इकाई/अनुभाग के कार्य एवं दायित्व

क्र	इकाई/अनुभाग	कार्य विवरण
1 (क)	प्रशासनिक अनुभाग/स्थापना /अनुभाग	<ol style="list-style-type: none"> 1). इस कार्यालय से संबंधित समस्त स्थापना संबंधी कार्यों का सम्पादन एवं तत्संबंधी पंजी एवं नस्ती संधारण करना। 2). कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन संबंधित कार्यालय को प्रेषित करना। 3). स्थापना संबंधित न्यायालयीन प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी एवं अधिवक्ता की नियुक्ति हेतु कार्यवाही करना। 4). अन्य कार्यालयों द्वारा समय-समय पर चाही गई स्थापना एवं न्यायालयीन प्रकरणों संबंधी जानकारियां संकलित कर प्रेषित करना। 5). अंकेक्षण अधिकारी के प्रतिवेदनों का उत्तर समयावधि में तैयार करने उनके कार्यालयों को प्रेषित करना। 6). कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के अन्य दावों जैसे टूर-एडवांस-टीए बिल, मेडिकल बिल, जीपीएफ आदि को चेक करना एवं भुगतान करना। 7). सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का निष्पादन। 8). स्थापना संबंधी मासिक प्रतिवेदन 9). स्थापना संबंधी त्रैमासिक प्रतिवेदन 10). स्थापना संबंधी अर्द्धवार्षिक प्रतिवेदन 11). स्थापना संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन
	रोकड़ अनुभाग	<ol style="list-style-type: none"> 1). कंपनी द्वारा स्वीकृत अग्रदाय को क्षेत्रीय लेखाधिकारी से प्राप्त करना। अग्रदाय मद लेखों को तैयार करना। क्षेत्रीय लेखाधिकारी कार्यालय में लेखों को जमा करना, रिक्वूपमेंट प्राप्त करना। 2). कार्यालय से प्राप्त भुगतानों के कालबाधित प्रकरणों के निराकरण की कार्यवाही करना। 3). कार्यालय में किये गये खचों की प्रतिदिन रोकड़बही में प्रविष्टि करना। 4). समाचार पत्रों एवं मोबाईल फोन बिलो का भुगतान करने की व्यवस्था करना और उसका हिसाब रखना। 5). अस्थाई अग्रिम स्वीकृत करना तथा अधीनस्थों को अग्रदाय मदों की स्वीकृति विषयक पत्राचार।

II	क्रय अनुभाग	<ol style="list-style-type: none">1. मैदानी अधिकारियों के कार्यालयों से प्राप्त स्थानीय क्रय सामग्री।2. इरेक्शन प्रकरणों का सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर उन्हें आदेश प्रसारित करने हेतु सूचना भेजना अथवा इस कार्यालय से आदेश प्रसारित करना।3. मैदानी कार्यालयों से प्राप्त किराये पर वाहन लगाने के प्रकरणों को सक्षम अधिकारी से अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करना तथा अनुमोदन उपरांत आदेश जारी करने हेतु संबंधित कार्यालय को सूचना देना।4. अन्य क्रय प्रकरणों का निपटारा।5. स्थानीय क्रय प्रकरणों से संबंधित आडिट आब्जर्वेशन्स का निराकरण किया जाना।6. क्रय नियमों से संबंधित आदेशों/परिपत्रों एवं नियमनां संबंधी नस्तियों का संधारण।
----	-------------	--

III	कार्य अनुभाग	<ol style="list-style-type: none"> 1. नवीन लाईनों के निर्माण पूर्व सर्वे करवाना एवं उन कार्यों के लिये जहां वनभूमि की आवश्यकता हो, वन प्रस्ताव तैयार करवाने हेतु मैदानी कार्यालयों से एवं वन प्रस्ताव की स्वीकृति राज्य शासन एवं केन्द्र शासन से प्राप्त करने के लिये वन विभाग व अन्य कार्यालयों से लगातार पत्राचार करना। स्वीकृति के पश्चात् वन विभाग को मांग राशि (वैकल्पिक वृक्षारोपण एवं अन्य मदों हेतु) जमा करवाने की कार्यवाही सम्पन्न करवाना। 2. लाईनों के कार्यादेश के तहत औपचारिकतायें पूर्ण करने के पश्चात् ठेकेदार के द्वारा साईट ग्रहण करने पर आवश्यक निर्माण सामग्री के लिये आबंटन आदेश प्रसारित करना। 3. उन सामग्री/उपकरणों के आवश्यकता का मांग पत्र अधीक्षण यंत्री को प्रस्तुत करना, जिनके क्रय एवं आबंटन की कार्यवाही उनके कार्यालय द्वारा की जाती है। 4. कार्य सम्पादित करने के दौरान आने वाली विभिन्न कठिनाईयों को दूर करने हेतु व्यवस्था करना, जैसे— <ol style="list-style-type: none"> (अ) कार्य के दौरान चालू लाईन पर शट डाऊन की व्यवस्था के लिये लोड डिस्पेच/टेस्टिंग विभागों से अनुमोदन प्राप्त करना। (ब) यदि आवश्यकता हो तो कार्य सम्पन्न करने हेतु अस्थाई अग्रिम राशि की व्यवस्था करने हेतु संबंधित को प्रकरण प्रेषित करना। (स) फसल/वृक्ष/भूमि मुआवजे के प्रकरणों पर वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाने हेतु त्वरित कार्यवाही सम्पन्न करवाना। 5. कार्य के दौरान अन्य व्यक्तियों द्वारा दायर न्यायालयीन प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी एवं अधिवक्ता की नियुक्ति आदेश जारी करना। 6. कार्य की प्रगति अनुसार संभागीय कार्यपूर्णता लक्ष्य दिनांक को ध्यान में रखते हुए कार्य प्रगति निष्पादन कार्य। 7. कार्यान्वित योजनाओं की मासिक प्रगति प्रतिवेदन तैयार कर सभी संबंधित कार्यालयों को प्रेषित करना। 8. प्राक्कलनों के अनुसार कार्य अवधि में कार्य सम्पन्न न होने पर प्राक्कलन की करेन्सी पीरियड बढ़वाने का प्रस्ताव सक्षम अधिकारी को भिजवाना। 9. योजना में व्यय प्राक्कलन राशि से 5 प्रतिशत से ज्यादा होने पर प्राक्कलन सक्षम अधिकारी से पुनरीक्षित करवाने के लिये प्रस्ताव प्रेषित करना।
-----	--------------	--

<p style="text-align: center;">III</p>	<p style="text-align: center;">कार्य अनुभाग</p>	<ol style="list-style-type: none"> 10. लाईनों को विद्युतीकृत कर व्यावसायिक उपयोग में लिये जाने पर संबंधित संभाग/वृत्त से " टेक्नीकल कमिश्निंग रिपोर्ट " अनेक्शचर "जी" के प्रारूप में बनवाने के यि संबंधित वृत्त कार्यालय से पत्राचार करना एवं इसकी प्रगति को वित्तीय संकाय के कार्यालय को प्रेषित करना। 11. लाईनों के प्राक्कलन के प्रावधानों के अनुसार निर्माण कार्य की पूर्णतया समाप्ति पर कार्य कार्यपूर्णता प्रतिवेदन बनवाने के लिये एवं संबंधित संभाग कार्यालयों से प्राप्त किये गये कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन की जांच कर तत्संबंधी पत्राचार करना। 12. कार्य अनुभाग से संबंधित अंकेक्षण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के उत्तर समयावधि में तैयार कर संबंधित को प्रेषित करना। 13. आदेश जारी किये गये ठेकेदार से कार्य शुरू करने के पूर्व समस्त दस्तावेजों एवं धरोहर राशि जमा करवाकर अनुबंध करवाना। 14. मासिक निर्माण कार्य की प्रगति प्रतिवेदन की जांच कर आवश्यक कार्यवाही करना। 15. पूर्व वित्तीय वर्ष में जिन नवीन लाईनों का निर्माण किया गया है, तो ऐसी सभी लाईनों को "असेट" रजिस्टर में इन्द्राज कर "असेट" रजिस्टर की जानकारी पूर्ण करना। 16. लाईनों के निर्माण के लिये शट-डाऊन प्रस्ताव तैयार करना एवं सक्षम अधिकारी का अनुमोदन वृत्त / संभाग को भिजवाना। 17. लाईनों के निर्माण कार्य हेतु बजट आवश्यकता निर्धारित प्रपत्र में वित्तीय संकाय को प्रेषित कर राशि आबंटित करवाना। 18. आबंटित राशि के अनुरूप प्राक्कलनों पर सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना। 19. आबंटित बजट अनुसार निर्माण कार्यों के लिये विभिन्न सामग्री की आवश्यकता को क्रय हेतु सक्षम कार्यालय को प्रेषित करना। 20. न्यायालयीन प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी एवं अधिवक्ता नियुक्त करने हेतु उच्चाधिकारी कार्यालय को प्रेषित करना। 21. लाईनों पर से सामग्री के चोरी प्रकरणों में उचित कार्यवाही करना। सामग्री की जप्ती होने की दशा में वृत्त कार्यालय को सूचित करना।
---	---	---

III	कार्य अनुभाग	<p>22. अंकेक्षण अधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन पर संधारण अनुभाग से संबंधित प्रश्नों के उत्तर समयावधि में तैयार कर संबंधित को प्रेषित करना।</p> <p>23. इस संभाग के लिए किराये पर लिये गये वाहन के मासिक देयकों को पारित किया जाना।</p> <p>24. कार्यपालन यंत्री कार्यालय द्वारा समाचार पत्रों में विज्ञापित किये गये निविदाओं से संबंधित देयकों को पारित एवं उनसे संबंधित पंजी का संधारण किया जाना।</p> <p>25. कार्यपालन यंत्री कार्यालय से संबंधित दूरभाष कनेक्शन के प्राप्त मासिक देयकों को पारित एवं उनसे संबंधित पंजी किया जाना।</p>
-----	--------------	--

(2) कार्यालय में पदस्थ प्रत्येक अधिकारी का कार्य विवरण

धारा 4.1 (b) (ii) के अंतर्गत

क्र	नाम सर्व श्री	पदनाम	परिलब्धियां (रू. प्रतिमाह में)	कर्त्तव्य
1.	श्री यू.के.यादव	कार्यपालन अभियंता, अ.उ.दा. (नि.) संभाग., छ.ग.स्टे.पा. ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर	163496.00	कार्यपालन यंत्री, अ.उ.दा. (निर्माण) संभाग के अन्तर्गत आने वाले समस्त कार्य।
2.	श्री अनिल कुमार द्विवेदी	सहायक अभियंता, अ.उ.दा.(नि.), छ.ग.स्टे.पा. ट्रांस.कं. लिमि., रायपुर	149924.00	अ.उ.दा. निर्माण संभाग के अन्तर्गत रायपुर तथा अन्य लाईन एवं उपकेन्द्र निर्माण कार्य।
3.	श्री प्रदीप कुमार तिवारी	सहायक अभियंता, अ.उ.दा.(नि.), छ.ग.स्टे.पा. ट्रांस.कं. लिमि., रायपुर	156204.00	अ.उ.दा. निर्माण संभाग के अन्तर्गत रायपुर एवं निर्माण के कार्य तथा अन्य लाईन निर्माण कार्य।
4.	श्री प्रोबाल कुमार मित्रा	सहायक अभियंता, अ.उ.दा.(नि.), छ.ग.स्टे.पा. ट्रांस.कं. लिमि., रायपुर	99528.00	अ.उ.दा. निर्माण संभाग के अन्तर्गत रायपुर एवं निर्माण के कार्य तथा अन्य लाईन निर्माण कार्य।

(4) कार्यों के निष्पादन के मापदण्ड
(समय, गुणवत्ता, मात्रा)
धारा 4.1 (b) (iv) के अंतर्गत

गतिविधि / कार्य	समय का मापदण्ड	गुणवत्ता का मापदण्ड	मात्रा (एक वर्ष में किये जाने वाले कार्यालयीन कार्य)
(I) क. प्रशासनिक अनुभाग			
1. इस कार्यालय से संबंधित समस्त स्थापना संबंधी कार्यों का सम्पादन एवं तत्संबंधी पंजी एवं नस्ती संधारण करना।	—	—	—
2. कार्यालयों का वार्षिक निरीक्षण करवाना एवं निरीक्षण प्रतिवेदन संबंधित कार्यालय को प्रेषित करना।	1 माह	—	
3. स्थापना संबंधित प्राप्त न्यायालयीन प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी एवं अधिवक्ता की नियुक्ति हेतु कार्यवाही करना।	3 दिवस	—	आवश्यकतानुसार
4. अन्य कार्यालयों द्वारा समय-समय पर चाही गई स्थापना एवं न्यायालयीन प्रकरणों संबंधी जानकारियां संकलित कर प्रेषित करना।	—	—	
5. अंकेक्षण अधिकारी के प्रतिवेदनों का उत्तर समयावधि में तैयार कर उनके कार्यालयों को प्रेषित करना।	1 माह	—	वर्ष में प्राप्त सभी अंकेक्षण प्रतिवेदन के उत्तर
6. सूचना अधिकारी अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पर कार्यवाही	—	—	आवश्यकतानुसार
7. स्थापना संबंधी मासिक प्रतिवेदन	तीन दिन	—	—
8. स्थापना संबंधी त्रैमासिक प्रतिवेदन	तीन दिन	—	—
9. स्थापना संबंधी अर्द्धवार्षिक प्रतिवेदन	तीन दिन	—	—
10. स्थापना संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन	तीन दिन	—	—

(4) कार्यों के निष्पादन के मापदण्ड
(समय, गुणवत्ता, मात्रा)
धारा 4.1 (b) (iv) के अंतर्गत

गतिविधि / कार्य	समय का मापदण्ड	गुणवत्ता का मापदण्ड	मात्रा (एक वर्ष में किये जाने वाले कार्यालयीन कार्य)
(I) ख. प्रशासनिक अनुभाग			
1. कंपनी द्वारा स्वीकृत अग्रदाय मद को रायपुर कार्यालय से प्राप्त करना। अग्रदाय मद लेखों को तैयार करना। क्षेत्रीय लेखाधिकारी कार्यालय में लेखों को जमा कर रिव्यूपमेंट प्राप्त करना।	1 माह	—	आवश्यकतानुसार
2. मैदानी कार्यालय से प्राप्त भुगतान के कालबाधित प्रकरणों के निराकरण की कार्यवाही करना।	15 दिवस	—	आवश्यकतानुसार
3. कार्यालय में किये गये खर्च की प्रतिदिन रोकड़बही में प्रविष्टि करना	प्रतिदिन		आवश्यकतानुसार
4. समाचार पत्रों एवं मोबाईल बिलों का भुगतान करने की व्यवस्था करना एवं उनका हिसाब रखना।	3 दिवस	—	समाचार पत्रों एवं मोबाईल फोन के देयकों का भुगतान
5. अस्थायी अग्रिम स्वीकृत किया जाना	3 दिवस	—	आवश्यकतानुसार

(4) कार्यों के निष्पादन के मापदण्ड
(समय, गुणवत्ता, मात्रा)
धारा 4.1 (b) (iv) के अंतर्गत

गतिविधि / कार्य	समय का मापदण्ड	गुणवत्ता का मापदण्ड	मात्रा (एक वर्ष में किये जाने वाले कार्यालयीन कार्य)
(II) क्रय अनुभाग			
1. वाहन लगाने के प्रकरणों को सक्षम अधिकारी से अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करना तथा अनुमोदन उपरांत आदेश जारी करना।	—	—	इस कार्य हेतु मैदानी कार्यालयों से प्राप्त सभी प्रस्ताव
2. अन्य क्रय प्रकरणों का निपटारा	—	—	आवश्यकतानुसार
3. स्थानीय क्रय सामग्री / इरेक्शन प्रकरणों से संबंधित निविदा के अंतर्गत एसडी / ईएमडी प्रकरणों का निस्तारण कर भुगतान हेतु क्षेत्रीय लेखाधिकारी रायपुर को प्रेषित किया जाना।	—	—	आवश्यकतानुसार
4. स्थानीय क्रय सामग्री प्रकरणों से संबंधित पंजियों एवं नस्तियों का संधारण	—	—	आवश्यकतानुसार

(4) कार्यों के निष्पादन के मापदण्ड
(समय, गुणवत्ता, मात्रा)
धारा 4.1 (b) (iv) के अंतर्गत

गतिविधि/कार्य	समय का मापदण्ड	गुणवत्ता का मापदण्ड	मात्रा (एक वर्ष में किये जाने वाले कार्यालयीन कार्य)
(III) क्रय अनुभाग			
1. नवीन लाईनों के निर्माण पूर्व सर्वे करवाना एवं उन कार्यों के लिये जहां वन भूमि की आवश्यकतानुसार हो, वन प्रस्ताव तैयार करने हेतु मैदानी कार्यालयों से एवं वन प्रस्ताव की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए वन विभाग व अन्य कार्यालयों से पत्राचार करना।	—	—	आवश्यकतानुसार
2. कार्यादेश के तहत औपचारिकतायें पूर्ण करने के पश्चात ठेकेदार के द्वारा साईट ग्रहण करने पर आवश्यक निर्माण सामग्री के लिये आबंटन आदेश प्रसारित करना।	कार्य की भौतिक प्रगति अनुसार	—	आवश्यकतानुसार समस्त कार्यों हेतु
3. उन सामग्री/उपकरणों के आवश्यकता का मांग पत्र मुख्य यंत्री (पारेषण) को प्रस्तुत करना, जिनके क्रय एवं आबंटन की कार्यवाही उनके कार्यालय द्वारा की जाती है।	कार्य की भौतिक प्रगति अनुसार		आवश्यकतानुसार समस्त कार्यों हेतु
4. कार्य सम्पादित करने के दौरान आने वाली विभिन्न कठिनाईयों को दूर करने हेतु व्यवस्था करना, जैसे—			
(अ) कार्य के दौरान चालू लाईन पर शट डाऊन की व्यवस्था के लिये लोड डिस्पैच/टेस्टिंग विभागों से अनुमोदन प्राप्त करना।	तत्काल कार्यवाही करना		आवश्यकतानुसार
(ब) यदि आवश्यकता हो तो कार्य सम्पन्न करने हेतु अस्थाई अग्रिम राशि की व्यवस्था करने हेतु संबंधित को प्रकरण प्रेषित करना।	3 दिवस		आवश्यकतानुसार
(स) फसल/वृक्ष/भूमि मुआवजे के प्रकरणों पर वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाने हेतु त्वरित कार्यवाही सम्पन्न करवाना।	3 दिवस		आवश्यकतानुसार

(4) कार्यों के निष्पादन के मापदण्ड
(समय, गुणवत्ता, मात्रा)
धारा 4.1 (b) (iv) के अंतर्गत

गतिविधि/कार्य	समय का मापदण्ड	गुणवत्ता का मापदण्ड	मात्रा (एक वर्ष में किये जाने वाले कार्यालयीन कार्य)
(III) क्रय अनुभाग			
5. कार्य के दौरान अन्य व्यक्तियों द्वारा दायर न्यायालयीन प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी एवं अधिवक्ता की नियुक्ति हेतु प्रकरण उच्चाधिकारी कार्यालय को प्रेषित करना।	3 दिवस	—	आवश्यकतानुसार
6. कार्यान्वित योजनाओं की मासिक प्रगति प्रतिवेदन तैयार कर सभी संबंधित कार्यालयों को प्रेषित करना।	5 दिवस	—	आवश्यकतानुसार
7. प्राक्कलनों के अनुसार कार्य अवधि में कार्य सम्पन्न न होने पर प्राक्कलन की करेन्सी पीरियड बढ़वाने का प्रस्ताव सक्षम अधिकारी को भिजवाना।	7 दिवस	—	आवश्यकतानुसार
8. योजना में व्यय प्राक्कलन राशि से 5 प्रतिशत से ज्यादा होने पर प्राक्कलन सक्षम अधिकारी से पुनरीक्षित करवाने के लिये प्रस्ताव प्रेषित करना।	7 दिवस	—	आवश्यकतानुसार
9. लाईनों को विद्युतीकृत कर व्यावसायिक उपयोग में लिये जाने पर संबंधित संभाग से "टेक्नीकल कमिशनिंग रिपोर्ट को प्रारूप में बनवाकर उच्च कार्यालय को प्रेषित करना।	—	—	वर्ष में पूर्ण किये गये समस्त कार्यों हेतु
10. लाईनों के प्राक्कलन के प्रावधानों के अनुसार निर्माण कार्यों की पूर्णतः समाप्ति पर कार्यपूर्णता प्रतिवेदन बनाकर क्षेत्रीय लेखाधिकारी कार्यालय में प्रेषित करना।	—	—	वर्ष में पूर्ण किये गये समस्त कार्यों हेतु
11. कार्य अनुभाग से संबंधित अंकेक्षण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के उत्तर समयावधि में तैयार कर संबंधित को प्रेषित करना।	1 माह	—	आवश्यकतानुसार
12. प्रकरण पर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन पश्चात् आदेश तैयार कर जारी करना।		—	—
13. संभागों से प्राप्त मासिक निर्माण कार्य की प्रगति प्रतिवेदन की जांच कर आवश्यक कार्यवाही करना।	15 दिवस		
14. पूर्व वित्तीय वर्ष में जिन नवीन लाईनों/उपकेन्द्रों/फीडर बे का निर्माण किया गया हो, तो ऐसी सभी कार्यों को "असेट" रजिस्टर में इन्द्राज कर "असेट रजिस्टर" की जानकारी पूर्ण करना।	वित्तीय संकाय से फाईनालाइजेशन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर		

(4) कार्यों के निष्पादन के मापदण्ड
(समय, गुणवत्ता, मात्रा)
धारा 4.1 (b) (iv) के अंतर्गत

गतिविधि/कार्य	समय का मापदण्ड	गुणवत्ता का मापदण्ड	मात्रा (एक वर्ष में किये जाने वाले कार्यालयीन कार्य)
(III) क्रय अनुभाग			
15. लाईनों के निर्माण के लिये प्रस्ताव तैयार कर वृत्त कार्यालय को प्रेषित करना।	—	—	आवश्यकतानुसार
16. लाईनों के निर्माण कार्य हेतु बजट आवश्यकता निर्धारित प्रपत्र में वित्तीय संकाय को प्रेषित कर राशि आबंटित करवाना।	15 दिवस	—	वर्ष में एक बार
17. आबंटित राशि प्राक्कलनों की स्वीकृत प्राप्त होने पर कार्य प्रारम्भ करना।	7 दिन	—	निर्माण संभागों के प्राक्कलन
18. लाईनों पर से सामग्री के चोरी प्रकरणों में उचित कार्यवाही करना।	7 दिवस	—	आवश्यकतानुसार
19. वन विभाग द्वारा वन विदोहन क्षतिपूर्ति बाबत प्रस्तुत मांग पत्र की जांचकर राशि वन विभाग को उपलब्ध करवाने हेतु कार्यवाही करना।	15 दिवस	—	आवश्यकतानुसार
20. अंकेक्षण अधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन पर संबंधित प्रश्नों के उत्तर समयावधि में तैयार कर संबंधित को प्रेषित करना।	एक माह	—	आवश्यकतानुसार

(5) कार्यालय के कार्यों से संबंधित उपलब्ध

अधिनियम, नियम, रेगुलेशन, मन्युअल्स, परिपत्रों की सूची
धारा 4.1 (b) (v) के अंतर्गत (निर्माण कार्यों से संबंधितों में चैप्टर की प्रति)

	(I) स्थापना अनुभाग	(II) काण्ट्रेक्ट अनुभाग	(III) कार्य अनुभाग
1. अधिनियम	<ol style="list-style-type: none">1. म.प्र. (छ.ग.) सिविल सेवा अधिनियम 19582. म.प्र. (छ.ग.) आचार संहिता अधिनियम 19583. सेवा की सामान्य शर्त4. कर्मचारी मार्गदर्शन5. विभागीय जांच प्रक्रिया	<ol style="list-style-type: none">1. इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट –19102. वर्कमेन कम्पनसेशन एक्ट–19233. आरबिट्रेशन एक्ट–19404. ईपीएफ एक्ट–19525. इंडियन काण्ट्रेक्ट एक्ट–19726. इलेक्ट्रिसिटी एक्ट–2003	<ol style="list-style-type: none">1. इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 19102. इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 19483. इंडियन सप्लाय एक्ट 19484. इंडियन सप्लाय एक्ट 1956
2. नियम	<ol style="list-style-type: none">1. फण्डामेंटल नियम, म.प्र. (छ.ग.) शासन2. कर्मचारियों को दण्ड3. चिकित्सा परिचर्या नियम4. जन्मतिथि में परिवर्तन5. यात्रा भत्ता नियम6. विभागीय जांच कैसे करें7. अवकाश नियम	<ol style="list-style-type: none">1. इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स–19562. छ.ग. क्रय नियम	<ol style="list-style-type: none">1. छ.ग. हाईकोर्ट नियम एडवोकेट की फीस के भुगतान बाबत।2. इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट–19103. इन्टीमेशन आफ एक्सीडेंट (फर्म एंड टाईम आफ नोटिस आफ सर्विस आफ नोटिस) रूल्स
3. रेग्युलेशन	—	—	<ol style="list-style-type: none">1. छ.ग. विद्युत नियामक आयोग रेग्युलेशन2. छ.ग. विद्युत नियामक आयोग (विनियमन परिपालन के प्रतिवेदन की प्रस्तुति बाबत दिशा–निर्देश) विनियमन

	(I) स्थापना अनुभाग	(II) काण्ट्रेक्ट अनुभाग	(III) कार्य अनुभाग
4. मैनुअल्स	<ol style="list-style-type: none"> कैश एकाउंटिंग प्रक्रिया के निदेश (1976) डेलिगेशन आफ पावर मैनुअल्स 	—	<ol style="list-style-type: none"> मैनुअल्स आफ सब स्टेशन चेप्टर आन डिजाईन आफ अर्थिंग मटेरियल फार हाई वोल्टेज सबस्टेशन (1982) (पी-223) गाइड फार न्यू कोड आफ ट्रांसमिशन लाईन्स टावर्स (1993) (पी-229) मैनुअल आन ले आउट आफ सबस्टेशन 1974 (रिवाइज्ड एडीशन 1989) रिप्रिंटेड इन 1990 व 1995) रिवाइज्ड 1996 (टी आर-3) स्पेसिफिकेशन फार ए सी. स्टेटिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीटर (1992) रिवाइज्ड जुलाई 1996 (टीआर-88) मैनुअल आफ सबस्टेशन चेप्टर आन स्पेसिफिकेशन फार सबस्टेशन बैटरी चार्जिंग इक्विपमेंट एंड डी सी. स्विच गियर (1991) रिवाइज्ड
5. परिपत्र	<ol style="list-style-type: none"> स्थाई आदेशों एवं परिपत्रों का सार-संग्रह सन 1975 	—	—
	<ol style="list-style-type: none"> स्थाई आदेशों एवं परिपत्रों का सार-संग्रह सन 1975 	—	—

(6) कार्यालय में संधारित विभिन्न श्रेणी के अभिलेखों की सूची

धारा 4.1 (B) (vi) के अंतर्गत

सरल क्र.	अभिलेख का नाम	अभिलेख का प्रकार (माइक्रोफिल्म, रजिस्टर, किताब, डिस्क आदि)	अभिलेख की प्रकृति एवं विषय वस्तु	अभिलेख की अवधि
1	2	3	4	5
(i)	स्थापना / रोकड़ अनुभाग			
1	आदेश पंजी	रजिस्टर	इस कार्यालय स्तर पर जारी किये जाने वाले स्थापना संबंधी आदेश	—
2	न्यायालयीन प्रकरणों का अभिलेख	रजिस्टर	—	—
3	चल अचल संपत्ति खरीदी पंजी	रजिस्टर	—	वर्ष 2015 से निरंतर
4	वर्दी संबंधी पंजी	रजिस्टर	—	—
5	सर्वे रिपोर्ट अभिलेख संबंधी पंजी	रजिस्टर	सर्वे रिपोर्ट स्वीकृति पंजी (सामान्य)	—
6	हाट लाईन प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभिलेख	रजिस्टर		
7	यात्रा भत्ता पंजी	रजिस्टर	यात्रा भत्ता देयकों की स्वीकृति, समायोजन (सामान्य)	
8	चिकित्सा बिल पंजी	रजिस्टर	चिकित्सा देयकों के भुगतान की स्वीकृति (सामान्य)	
9	जी.पी.एफ.पंजी	रजिस्टर	जी.पी.एफ. आवेदन अग्रेषित करना (सामान्य)	
10	मोबाईल बिल पंजी	रजिस्टर	मोबाईल के भुगतान की स्वीकृति (सामान्य)	
11	आकस्मिक अवकाश पंजी	रजिस्टर	अवकाश का विवरण हेतु (सामान्य)	
12	उपस्थिति पंजी	रजिस्टर	प्रतिदिन की उपस्थिति का विवरण (सामान्य)	
13	वकील देयक पंजी	रजिस्टर	—	
14	सूचना अधिकार अधिनियम 2005 पंजी	रजिस्टर	सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप में आवेदकों से प्राप्त आवेदन की प्रविष्टि (सामान्य)	
15	सूचना का अधिकार 2005 पंजी (प्रथम अपील)	रजिस्टर	सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप में प्रथम अपील संबंधित प्रविष्टि	
16	आवक पंजी	रजिस्टर	पत्र आवक पंजी	
17	जावक पंजी	रजिस्टर	पत्र जावक पंजी	
18	रजिस्ट्री पंजी	रजिस्टर	रजिस्ट्री की जाने वाली पत्रों की प्रविष्टि (सामान्य)	—

(II) कय अनुभाग

सरल क्र.	अभिलेख का नाम	अभिलेख का प्रकार (माइक्रोफिल्म, रजिस्टर, किताब, डिस्क आदि)	अभिलेख की प्रकृति एवं विषय वस्तु	अभिलेख की अवधि
1	2	3	4	5
1	जमानत राशि पंजी (एसडी)	रजिस्टर	सुरक्षानिधि राशि का विवरण (सामान्य)	
2	विज्ञापन पंजी	रजिस्टर	विज्ञापन देयकों का विवरण (सामान्य)	
3	केश बुक पंजी	रजिस्टर	रोकड़ का विवरण (सामान्य)	
4	अस्थाई अग्रिम पंजी	रजिस्टर	—	
5	इम्प्रेस्ट पंजी	रजिस्टर	—	
6	चेक प्राप्ती पंजी	रजिस्टर	स्थापना, रोकड़, अस्थाई अग्रिम तथा अन्य मदों के लिये सहा. प्र. के.ले.ई./वि. /ले. से प्राप्त चेक प्रविष्टि	
7	डाक टिकिट खरीदी/जारी पंजी	रजिस्टर	सामग्री प्रदाय संबंधी प्रविष्टि (सामान्य)	
8	लेखन सामग्री पंजी	रजिस्टर		

(III) कार्य अनुभाग

सरल क्र.	अभिलेख का नाम	अभिलेख का प्रकार (माइक्रोफिल्म, रजिस्टर, किताब, डिस्क आदि)	अभिलेख की प्रकृति एवं विषय वस्तु	अभिलेख की अवधि
1	2	3	4	5
1	निर्माणाधीन लाईनों की प्रगति	फाईल	निर्माणाधीन पारेषण लाईनों का भौतिक प्रगति प्रतिवेदन (सामान्य)	—
2	निर्माणाधीन पारेषण लाईनों हेतु वन मांग प्रस्ताव	रजिस्टर/नस्ती	निर्माणाधीन पारेषण मार्गों के लाईन में आने वाले वन क्षेत्र के उपयोग हेतु वन विभाग के अनुमोदन की जानकारी व उनके मांग पत्र के अनुसार विभिन्न मदों में भुगतान की गई राशि का विवरण (सामान्य)	—
3	लाईनों की सूची	फाईल	उपलब्ध लाईनों की संकलित जानकारी (सामान्य)	
4	निर्माण कार्यों के स्वीकृत प्राक्कलनों का अभिलेख	रजिस्टर	स्वीकृत प्राक्कलनों का संकलन (सामान्य)	
5	संपत्ति पंजी	रजिस्टर/फाईल	विभिन्न संपत्तियों का मूल्य व क्षरण के पश्चात् वर्तमान मूल्य सहित विवरण (सामान्य)	—
6	लाईन ब्रेक डाउन का अभिलेख	नस्ती	लाईन ब्रेक डाउन का संकलन (सामान्य)	—
7	दुर्घटना का अभिलेख	रजिस्टर	—	—
8	चोरी की गई सामग्री का अभिलेख	रजिस्टर	—	—
9	बैंक गारण्टी पंजी	रजिस्टर	इस कार्यालय से कार्यादेश के विरुद्ध जमा की गई सुरक्षानिधि के रूप में ली जाने वाली प्रविष्टि	
10	वाहन पंजी	रजिस्टर	किराये पर लिये गये वाहन के देयक पारित विषयक विवरण (सामान्य)	
11	दूरभाष कनेक्शन पंजी	रजिस्टर	कार्यालय में संचालित दूरभाष कनेक्शनों के लिये गये प्राप्त मासिक देयकों को पारित करने विषयक विवरण (सामान्य)	
12	विज्ञापन पंजी	रजिस्टर	विज्ञापन के देयकों का विवरण (सामान्य)	

(07) परामर्शदात्री समितियों की संरचना (जिनके सदस्य जन प्रतिनिधि हैं)

धारा 4.1 (b) (vii) के अंतर्गत

(अ) समितियों का नाम, उनका गठन, दायित्व एवं कर्तव्य

निरंक

(अ) समितियों की बैठकों का कार्यवाही विवरण

निरंक

(08) कार्यालय के अंतर्गत आने वाले मंडल, परिषदों, समितियों एवं अन्य संस्थाओं
की जानकारी
धारा 4.1 (b) (viii) के अंतर्गत

सरल क्रमांक	संस्था का नाम	सदस्यों के नाम	अर्हता
1	2	3	4
———— निरंक ————			

(09) अधिकारियों एवं कर्मचारियों की डायरेक्टरी
(कोषालय/सहायक प्रबंधक (के.ले.ई.) छ0रा0वि0हो0कं0लि0 के डाटा बैंक से संबद्ध किया
जावेगा)

धारा 4.1 (बी) (ix) के अंतर्गत

सरल क्रमांक	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	पता एवं दूरभाष क्रमांक (यदि हो तो)	
1	श्री यू.के.यादव	कार्यपालन यंत्री	कार्यालय कार्यपालन यंत्री, अ.उ.दा. (निर्माण.) संभाग, छ.ग.स्टे.पा. ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर,पिन नं. 492011	0771-2574725 मो. 9425852004
2	श्री अनिल कुमार द्विवेदी	सहायक यंत्री	तदेव	9425509294
3	श्री प्रदीप कुमार तिवारी	सहायक यंत्री	तदेव	9826471410
4	श्री प्रोबाल कुमार मित्रा	सहायक यंत्री	तदेव	9981859461

**(10) मासिक परिलब्धियां एवं सुविधाएं
धारा 4.1 (b) (x) के अंतर्गत**

क्र.	नाम	परिलब्धियां (रु. प्रतिमाह में)	सुविधाएं
1	उमाकांत यादव, कार्यपालन यंत्री, अ.उ.दा. (नि.) सं.	130367.00	
2	अनिल कुमार द्विवेदी, सहायक यंत्री, अ.उ.दा. (नि.) सं.	119756.00	
3	प्रदीप कुमार तिवारी सहायक यंत्री, अ.उ.दा. (नि.) सं.	144995.00	
4	प्रोबाल कुमार मित्रा सहायक यंत्री, अ.उ.दा. (नि.) सं.	99528.00	
5	सुनीता शर्मा कार्या.सहा.श्रेणी-दो, अ.उ.दा. (नि.) सं.	78135.00	
6	मोहन लाल चंद्राकर कार्या.सहा.श्रेणी-दो, अ.उ.दा. (नि.) सं.	76485.00	
7	छाया मढरियां कार्या.सहा.श्रेणी-दो, अ.उ.दा. (नि.) सं.	76485.00	
8	अभिषेक वैष्णव कार्या.सहा.श्रेणी-दो, अ.उ.दा. (नि.) सं.	74301.00	
9	आशा नाग कनिष्ठ भृत्य , अ.उ.दा. (नि.) सं.	25272.00	
10	रामकुमार ठाकुर कनिष्ठ यंत्री, अ.उ.दा. (नि.) सं.	75959.00	
11	एम.शंकर राव, वाहन चालक, अ.उ.दा. (नि.) सं.	133575.00	
12	नीलकंठ, ला.सहा.श्रेणी-दो, अ.उ.दा. (नि.) सं.	132975.00	
13	,शंकर लाल, ला.सहा.श्रेणी-दो, अ.उ.दा. (नि.) सं.	118125.00	
14	भागवत प्रसाद साहू, परि.श्रेणी-एक(लाईन), अ.उ.दा. (नि.) सं.	129135.00	
15	पी.रविकृष्णन राजू, परि.श्रेणी-एक(लाईन), अ.उ.दा. (नि.) सं.	102735.00	
16	कमलेश कुमार साहू, परि.श्रेणी-एक(लाईन), अ.उ.दा. (नि.) सं.	71215.00	
17	पूरन लाल साहू, परि.श्रेणी-एक(लाईन), अ.उ.दा. (नि.) सं.	86255.00	
18	चन्दू लाल, परि.श्रेणी-एक(लाईन), अ.उ.दा. (नि.) सं.	56070.00	
19	ठाकुर राम देवांगन, परि.श्रेणी-दो(लाईन), अ.उ.दा. (नि.) सं.	43726.00	
20	भोजराम, परि.श्रेणी-दो(लाईन), अ.उ.दा. (नि.) सं.	43760.00	
21	हीरा सिंह ध्रुव, परि.वर्ग-दो (ला.) सर्वेयर, अ.उ.दा. (नि.) सं.	61615.00	
22	प्रदीप सिंह ठाकुर, परि.वर्ग-दो (ला.) सर्वेयर, अ.उ.दा. (नि.) सं.	61615.00	
23	गुलेश कुमार साहू, परि.वर्ग-दो (ला.) सर्वेयर, अ.उ.दा. (नि.) सं.	61615.00	
24	रतन सत्यम्, परि.श्रेणी-दो(लाईन), अ.उ.दा. (नि.) सं.	48829.00	
25	प्रकाश कुमार साहू, परि.श्रेणी-एक(लाईन), अ.उ.दा. (नि.) सं.	67215.00	
26	दिलीप कुमार वर्मा, परि.श्रेणी-दो(लाईन), अ.उ.दा. (नि.) सं.	52060.00	
27	बिनीत प्रकाश खलखो, परि.वर्ग-तीन (ला.), अ.उ.दा. (नि.) सं.	46414.00	
28	कृपाल सिंह चौरका, परि. ला.संविदा, अ.उ.दा. (नि.) सं.	14500.00	
29	टकेन्द्र कुमार, परि. ला.संविदा, अ.उ.दा. (नि.) सं.	14500.00	
30	संदीप कुमार, परि. ला.संविदा, अ.उ.दा. (नि.) सं.	14500.00	

(11) वार्षिक बजट आबंटन एवं व्यय पत्रक
(कोषालय/सहायक प्रबंधक (के.ले.ई.) छ0रा0वि0हो0कं0लि0 से संबद्ध किया जावेगा)
धारा 4.1 (b) (xi) के अंतर्गत

सरल क्र.	बजट मद	कार्य का नाम	वर्ष	आबंटन	व्यय
1	2	3	4	5	6
01	प्रशासनिक व्यय	कार्यालय के दैनिकिनी प्रशासनिक व्यय हेतु	2022-2023	39.20 लाख	9.00 लाख

(12) कार्यक्रमों एवं हितग्राहियों की सूची
धारा 4.1 (b) (xii) के अंतर्गत

- (अ) कार्यक्रमों की सूची (इलेक्ट्रानिक फार्म में)
- (ब) हितग्राहियों के चयन का मापदण्ड
(परिपत्र कस मूल पाठ—इलेक्ट्रानिक फार्म में)
- (स) विस्तृत जानकारी

सरल क्र.	कार्यक्रम का नाम	प्रशासनिक विभाग	वर्ष	आबंटित राशि	हितग्राहियों की संख्या
1	2	3	4	5	6
————— लागू नहीं —————					

(13) हितग्राहियों की सूची एवं सुविधाओं की प्रकृति
धारा 4.1 (b) (xiii) के अंतर्गत

सरल क्रमांक	सुविधाओं की प्रकृति	नाम	पता	वर्ष	सहायता का प्रकार	सुविधा का अनुमानित कीमत
1	2	3	4	5	6	7
—————लागू नहीं—————						

**(14) कार्यालय में उपलब्ध जानकारी (आयटम 6 से संबद्ध)
धारा 4.1 (b) (xiv) के अंतर्गत**

सरल क्र.	श्रेणी	हार्ड कापी	इलेक्ट्रॉनिक फार्म
1	2	3	4
(I)	स्थापना / रोकड़ अनुभाग		
1	आदेश पंजी	रजिस्टर	—
2	न्यायालयीन प्रकरणों का अभिलेख	रजिस्टर	—
3	चल अचल संपत्ति खरीदी पंजी	रजिस्टर	—
4	वर्दी संबंधी पंजी	रजिस्टर	—
5	सर्वे रिपोर्ट अभिलेख संबंधी पंजी	रजिस्टर	—
6	हाट लाईन प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभिलेख	रजिस्टर	—
7	यात्रा भत्ता पंजी	रजिस्टर	—
8	चिकित्सा बिल पंजी	रजिस्टर	—
9	जी.पी.एफ. पंजी	रजिस्टर	—
10	मोबाईल बिल पंजी	रजिस्टर	—
11	आकस्मिक अवकाश पंजी	रजिस्टर	—
12	उपस्थिति पंजी	रजिस्टर	—
13	वकील देयक पंजी	रजिस्टर	—
14	सूचना अधिकार अधिनियम 2005 पंजी	रजिस्टर	—
15	केस बुक पंजी	रजिस्टर	—
16	अस्थाई अग्रिम पंजी	रजिस्टर	—
17	इम्प्रेसट पंजी	रजिस्टर	—
18	चेक प्राप्ति पंजी	रजिस्टर	—
19	लोकल परचेस पंजी	रजिस्टर	—
20	डाक टिकिट खरीदी / जारी पंजी	रजिस्टर	—
21	लेखन सामग्री पंजी	रजिस्टर	—
22	आवक पंजी	रजिस्टर	—
23	जावक पंजी	रजिस्टर	—
24	रजिस्ट्री पंजी	रजिस्टर	—

(II) क्रय अनुभाग

सरल क्र.	श्रेणी	हार्ड कापी	इलेक्ट्रानिक फार्म
1	2	3	4
1	धरोहर राशि पंजी (ईएमडी)	—	—
2	जमानत राशि पंजी (एस डी)	रजिस्टर	—
3	विज्ञापन पंजी	रजिस्टर	—
4	क्रय आदेश पंजी	रजिस्टर	—
5	अनुमोदन पंजी	रजिस्टर	—
6	निविदा जारी करने की पंजी	रजिस्टर	—
7	वाहन पंजी	रजिस्टर	—
8	दूरभाष कनेक्शन पंजी	रजिस्टर	—

(III) कार्य अनुभाग

सरल क्र.	श्रेणी	हार्ड कापी	इलेक्ट्रानिक फार्म
1	2	3	4
1	निर्माणाधीन लाईनों की प्रगति	फाईल	—
2	निर्माणाधीन पारेषण लाईनों हेतु वन मांग प्रस्ताव	रजिस्टर	—
3	लाइनों की सूची	रजिस्टर / फाईल	—
4	संधारण कार्यो के स्वीकृत प्राक्कलनों का अभिलेख	रजिस्टर	—
5	संपत्ति पंजी	रजिस्टर	—
6	लाईन ब्रेक डाउन का अभिलेख	रजिस्टर	—
7	दुर्घटना का अभिलेख	रजिस्टर / फाईल	—
8	चोरी गई सामग्री का अभिलेख	नस्ती	—
9	बैंक गारण्टी पंजी	नस्ती	—

(15) आम नागरिक को सूचना उपलब्ध कराने हेतु सुविधायें
(पुस्तकालय, पब्लिक काउण्टर आदि)
धारा 4.1 (b) (xv) के अंतर्गत

सरल क्रमांक 1	सुविधायें 2	प्रभारी का नाम 3	खुलने का अवधि 4	दुरभाष क्रमांक 5
———— लागू नहीं ————				

**(16) लोक सूचना अधिकारी का पद/कार्य स्थल से संबंधित जानकारी
धारा 4.1 (b) (xvi) के अंतर्गत**

क्र.	विवरण	सहायक लोक सूचना अधिकारी	लोक सूचना अधिकारी	अपीलीय अधिकारी
1	2	3	4	5
1	नाम	श्रीमती छाया मढ़रिया	श्री अनिल कुमार द्विवेदी	श्री यू.के.यादव
2	पदनाम	कार्यालय सहायक श्रेणी-II	सहायक अभियंता	कार्यपालन अभियंता
3	दूरभाष क्रमांक	7354239769	9425509294	9425852004
4	कार्यस्थल एवं पता	कार्या. कार्य. यंत्री, अ.उ.दा. (नि.) संभाग, छ.ग.स्टे.पा. ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर	कार्या. कार्य. यंत्री, अ.उ.दा. (नि.) संभाग, छ.ग.स्टे.पा. ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर	कार्या. कार्य. यंत्री, अ.उ.दा. (नि.) संभाग, छ.ग.स्टे.पा. ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर
5	आम नागरिक से मिलने का समय	अपरान्ह 3 से 4 बजे तक (अवकाश दिवसों को छोड़कर)	अपरान्ह 3 से 4 बजे तक (अवकाश दिवसों को छोड़कर)	अपरान्ह 3 से 4 बजे तक (अवकाश दिवसों को छोड़कर)

(17) कोई अन्य जानकारी

(आम नागरिक की सुविधाओं से संबंधित
धारा 4.1 (b) (xvii) के अंतर्गत

————— निरंक —————

अपरान्ह 3 से 4 बजे तक (अवकाश दिवसों को छोड़कर)